कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर—मालवा (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्रमांकः 225 /

आगर—मालवा, दिनांक 27 / 10 / 2026

प्रायः देखने में आ रहा है कि, इस न्यायिक जिला स्थापना में पदस्थ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने कार्यालय / अनुविभाग / न्यायालयों में उपस्थित होकर, उपस्थिति उपरांत, अपने कर्तव्य स्थल से बिना किसी शासकीय कार्य के अन्यत्र स्थान पर पाये जा रहे हैं, जो उचित नही है व अनुशासनहीनता है।

उक्त संबंध मे इस स्थापना के समस्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, वह नियत समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें व कर्तव्य स्थल से बिना किसी शासकीय कार्य के अन्यत्र न पाये जावें। शासकीय कार्य के बिना कर्तव्य स्थल से अन्यत्र पाये जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त संबंध में स्थापना के समस्त प्रभारी अधिकारी / पीठासीन अधिकारीगण को भी सूचित किया जाता है कि, वह अपने अधीनस्थ पदस्थ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि, कर्मचारीगण नियत समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर शासकीय कार्य संपादित करें, कार्यस्थल से बिना शासकीय कार्य के अन्यत्र न पाये जावें।

उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर—मालवा (म.प्र.)

आगर—मालवा, दिनांक 27 / 10 / 2026

पृष्ठांकन क्रमांक...1786

प्रतिलिपिः—

1. समस्त प्रभारी अधिकारी / पीठासीन अधिकारीगण न्यायिक जिला स्थापना आगर—मालवा / सुसनेर / नलखेड़ा।
2. समस्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण न्यायिक जिला आगर—मालवा / सुसनेर / नलखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय आगर—मालवा की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, वह समय—समय पर परिपत्र अनुसार कर्मचारियों के कर्तव्य स्थल से बिना शासकीय कार्य के अन्यत्र पाये जाने पर, उक्त जानकारी एकत्रित कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगें।
4. आई. टी. असिस्टेंट कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय आगर मालवा की ओर उक्त परिपत्र को जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर—मालवा (म.प्र.)